

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनु0 1
संख्या: 113वीआईपी /9.1.13-96सा/13टीसी-4
लखनऊ: दिनांक 03 सितम्बर, 2013

अधिसूचना

अधिसूचना सं0 3955/9.1.13-96सा/13टीसी-1, दिनांक 12 अगस्त, 2013 द्वारा जनपद बरेली की नगर पंचायत रिछ में सदस्य नामित किया गया है।


2. उक्त नगर पंचायत रिछ, बरेली में नामित एक सदस्य श्री शकील अहमद के पिता के नाम में त्रुटि संबंधी जानकारी संज्ञान में आने पर सम्यक विचारोपरांत उक्त अधिसूचना दिनांक 12 अगस्त, 2013 के क्रम सं0 24 में संशोधन करते हुए, नगर पंचायत रिछ में नामित सदस्य श्री शकील अहमद के पिता के नाम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	नगर पंचायत का नाम	जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6
24	श्री शकील अहमद	पुत्र श्री जमील अहमद	मो0 मेला, रिछ, बरेली	रिछ	बरेली

3. अतएव अधिसूचना सं0 3955/9.1.13-96सा/13टीसी-1 दिनांक 12 अगस्त, 2013 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

4. उक्त आदेश विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) संख्या: 34436/11 तथा 18362/2012 में मा0 उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन होगा।


आज्ञा से,


(यशवंत राव)
विशेष सचिव।

संख्या: 113वीआईपी (1)/9.1.13-96सा/13 टीसी-4, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक 03 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित कराकर उसकी 15 मुद्रित प्रतियां नगर विकास अनु01, बापू भवन, सातवां तल, 30प्र0सचिवालय, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(यशवंत राव)
विशेष सचिव।

